न्यायालय-ए०के०गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड, (मध्यप्रदेश)

आपराधिक प्रक0क्र0 432/09

संस्थित दिनाँक-30.06.09

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र–गोहद जिला–भिण्ड (म०प्र०)

.....अभियोगी

विरुद्ध

महादेव उर्फ बंटू पुत्र हुकमिसंह ओझा उम्र 38 साल निवासी कालपी ब्रिज कालोनी, मुरार, दीपक किराना स्टोर के सामने, थाना गोले का मंदिर, ग्वालियर म0प्र0

.....अभियुक्त

<u>—:: निर्णय ::—</u> {आज दिनांक 22.03.2017 को घोषित}

अभियुक्त पर भारतीय दंड संहिता 1860 (जिसे अत्र पश्चात "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 279, 337, 338 के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 25.04.09 को समय करीब 9 बजे स्थान एंचाया रोड सिसौनिया ग्राम के सामने आम रोड पर बस क्रमांक एम0पी0—07 पी0273 को लोक मार्ग पर उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया, फरियादी रामजीत, आहतगण चैहनसिंह, प्रियंका, जयपाल, उर्मिला, अनीता, दौलतसिंह, मुन्ना, रज्जन, धर्मसिंह, जगन्नाथ को टक्कर मारकर उपहित एवं राजेश को टक्कर मारकर गंभीर उपहित कारित की।

- 2. प्रकरण में यह तथ्य स्वीकृत व उल्लेखनीय है कि आहत दौलतिसंह, मुन्ना, रज्जन, धर्मसिंह, जगन्नाथ द्वारा अभियुक्त से राजीनामा कर लिए जाने के आधार पर अभियुक्त को उनके संबंध में भादिव की धारा 337 का उपशमन किया गया है। इस निर्णय द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध संहिता की धारा 279, शेष आहतगण के संबंध में संहिता की धारा 337, 338 के संबंध में निष्कर्ष दिया जा रहा है।
- 3. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक 25.04.2009 को सुबह करीब 9 बजे फरियादी रामजीत बस कमांक एम0पी0-07 पी0-0273 में बैठकर गोहद से बरेठा जा रहे थे। उक्त बस में 40-45 अन्य सवारियां थी। बस एंचाया रोड पर ग्राम सिसोनिया के सामने पहुंची तो बस का चालक तेजी व लापरवाही से चलाता हुआ ले जा रहा था और सिसोनिया के सामने बस को पलट दिया जिससे फरियादी, उसकी पत्नी अनीता व अन्य लोगों को चोटें आई। उक्त सूचना से देहाती नालिसी लेख की गयी। आहतगण का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। अपराध क्रमांक 95/09 पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। दौरान अनुसंधान नक्शामौका बनाया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध

किए गए, जब्ती कर जब्ती पत्रक, गिर0 कर गिर0 पत्रक बनाया गया, वाहन की मैकेनिकल जांच कराई गयी। बाद अनुसंधान अभियोग पत्र पेश किया गया।

- 4. अभियुक्त को पद क0 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। दप्रस की धारा 313 के अधीन परीक्षण कराए जाने पर अभियुक्त ने निर्दोष होकर झूंठा फंसाया जाना बताया।
- 5. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं -

1.क्या अभियुक्त ने दिनांक 25.04.09 को समय करीब 9 बजे स्थान एंचाया रोड सिसौनिया ग्राम के सामने आम रोड पर बस कमांक एम0पी0—07 पी0273 को लोक मार्ग पर उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?

2.क्या उक्त दिनांक, समय पर फरियादी रामजीत, आहतगण चैहनसिंह, प्रियंका, जयपाल, उर्मिला, अनीता, दौलतसिंह, मुन्ना, रज्जन, धर्मसिंह, जगन्नाथ तथा राजेश को कोई चोटें मौजूद थीं, यदि हाँ तो उनकी प्रकृति ?

3.क्या उक्त दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्त ने उक्त वाहन को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर फरियादी फरियादी रामजीत, आहतगण चैहनसिंह, प्रियंका, जयपाल, उर्मिला, अनीता, दौलतसिंह, मुन्ना, रज्जन, धर्मसिंह, जगन्नाथ को टक्कर मारकर उपहित एवं राजेश को टक्कर मारकर गंभीर उपहित कारित की?

-:: सकारण निष्कर्ष ::-

6 अभियोजन की ओर से प्रकरण में रामजीत अ०सा० 1, अनीता अ०सा० 2 डा० आलोक शर्मा अ०सा० 3, रज्जन अ०सा० 4, जगन्नाथ अ०सा० 5, मुन्ना सेन अ०सा० 6 धरमू अ०सा० 7, दौलतिसंह अ०सा० 8, डा० योगेश कसेडिया, राजेश अ०सा० 10, मुन्नीलाल मौर्य अ०सा० 11, जयपाल अ०सा० 12, श्रीमती उर्मिला अ०सा० 13 को परीक्षित कराया गया है जबिक अभियुक्त की ओर से कोई बचाव साक्ष्य नहीं दी गई है।

//विचारणीय प्रश्न कमांक 2//

7. फरियादी रामजीत अ०सा० 1 यह कथन करते हैं कि घटना उनके साक्ष्य दिनांक 19.08.2014 के करीब 5 साल पहले की है। वे उनकी छोटी बहन रामश्री की मृत्यु हो जाने के कारण फरे के लिए जा रहे थे। उनके साथ उनकी पत्नी अनीता व अजय भी बस में बैठकर जा रहे थे। बस का नंबर याद न होने का कथन करते हुए उक्त बस में काफी सवारियां मौजूद होने के संबंध में कथन करता है। साक्षी कथन करता है कि ग्राम सिसोनिया के आगे मंदिर हैं वहां पर एक्सीडेंट हुआ, बस पलट गयी थी। साक्षी यह बताता है कि एक्सीडेंट में उसे दाएं हाथ, अजय के सिर, पत्नी के मुंह में जगह जगह चोटें आई थी। साक्षी घटना की सूचना रिपोर्ट प्र0पी० 1 बताकर उसके ए से ए भाग पर हस्ताक्षर प्रमाणित करता है। चोटों के संबंध में पुलिस द्वारा मेडीकल कराए जाने का कथन करता है।

- 8. अनीता अ0सा0 2 यह कथन करती हैं कि घटना 4—5 साल पहले की है। उनकी ननद खत्म (मृत्यु) हो गयी थी और वे फेरे के लिए बस में बैठकर जा रही थी जिसमें अन्य सवारियां भी बैठी थीं। बस के चालक ने बस को रास्तें में पलट दिया। साक्षी बस पलटने से उसे कमर, छाती, पसिलयों व पेट में चोट आना बताती हैं। रज्जन अ0सा0 4 बस में ग्वालियर के लिए जाना बताते हैं और गोहद से ढाई किलोमीटर चलकर बस पलट जाने से उसके बेहोश हो जाने का कथन करता है। जगन्नाथ अ0सा0 5 बस से ग्वालियर जाना बताते हैं और पलट जाने से कमर में चोट आने का कथन करते हैं। मुन्ना सेन अ0सा0 6 ग्वालियर बस से जाने का कथन करते हुए बस पलटने से पीठ, बांए कनपटी में चोट आने का कथन करते हैं। दौलतिसंह अ0सा0 8 अपने बस से ग्वालियर जाने और बस पलटने से कोहनी के नीचे चोट आने का कथन करते हैं। घरमू अ0सा0 7 भी उपरोक्तानुसार कथन करते हुए बस पलटने से सिर में तालू पर चोट आने और पीठ में मुदी चोट आने का कथन करते हैं। राजेश अ0सा0 10 ग्वालियर बस में बैठकर सिसोनिया के पास बस पलट जाने और उसके बांए हाथ में अस्थिभंग कारित होने का कथन करते हैं। जयपाल अ0सा0 12 गोहद से आगे एंचाया रोड पर बस 7—8 साल पहले पलट जाने का कथन करते हुए उसके सिर व हाथ पैर में चोट आने का कथन करते हैं। उर्मिला अ0सा0 13 उपरोक्त साक्षी के समान ही एंचाया रोड पर बस के पलट जाने से चेहरे, पसली में चोट आने का कथन करती है।
- 9. प्रकरण में अभियोजन की ओर से चिकित्सक डा0 आलोक शर्मा अ0सा0 3 को परिक्षित कराया गया है जो अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन करते हैं कि दिनांक 25.04.09 को सी0एच0सी0 गोहद में मेडीकल आफीसर के पद पर पदस्थ थे। उक्त दिनांक को आरक्षक रिव द्वारा लाए जाने पर आहतगण का चिकित्सीय परीक्षण किए जाने का कथन करते हैं। चिकित्सक अपने अभिसाक्ष्य में आहत चैनसिंह पुत्र भारतिसंह, प्रियंका पत्नी गोविंद, जयपाल पुत्र परमाल, उर्मिला पत्नी विजयसिंह, रामजीत पुत्र जगन्नाथ, अनीता पत्नी रामजीत, दौलतिसंह पुत्र नारायणसिंह, मुन्ना पुत्र गुमान, रज्जन पुत्र पूरन, धरमू पुत्र कल्लू, जगन्नाथ पुत्र बालिकशन तथा राजेश पुत्र शिवचरन का चिकित्सीय परीक्षण किए जाने का कथन करते हैं। उक्त आहतगण को चिकित्सीय परीक्षण में भिन्न भिन्न चोटें कारित होने के संबंध में कथन करते हुए आहतगण को आई चोटें उनके द्वारा किए गए परीक्षण से 6 घण्टे के भीतर की अविध की होने के संबंध में अपनी सुसंगत राय देते हैं। आहतगण की चोटें कडी एवं भीथरी वस्तु से कारित होने के संबंध में अपनी सुसंगत राय देते हैं। आहतगण की चोटें कडी एवं मीथरी वस्तु से कारित होने के संबंध में कथन करते हैं। आहत राजेश के बांयी कलाई में सूजन तथा विकति पाए जाने और उसके लिए एक्सरे की सलाह दिए जाने का कथन करते हैं। चिकित्सकय द्वारा परीक्षण प्रतिवेदन कमशः प्र0पी0 3 लगायत 14 के रूप में प्रदर्शित कर उन पर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर प्रमाणित किए हैं।

- 10. डा० योगेश कसेडिया अ०सा० 9 अपने अभिसाक्ष्य में कथन करते हैं कि वे दिनांक 25.04.09 को रेडियोलॉजी विभाग में टयूटर सह रिजस्ट्रार के पद पर पदस्थ था। साक्षी यह भी कथन करते हैं कि उक्त दिनांक को आहत राजेश पुत्र शिवचरन का एक्सरे परीक्षण डा० एस० राजेश (पी०जी० छात्र) के द्वारा किया गया था। उक्त आहत के उल्टी कलाई (बांयी कलाई) की रेडियस अस्थि में अस्थिमंग कारित होना पाए जाने के संबंध में कथन करते हैं। डा० एस० राजेश द्वारा तैयार रिपोर्ट प्र०पी० 20 के रूप में बताकर उसके ए से ए भाग पर डा० एस० राजेश के हस्ताक्षर होना प्रमाणित करते हैं। डा० एस० राजेश के हस्ताक्षर होना प्रमाणित करते हैं। डा० एस० राजेश के सत्ताक्षर होना प्रमाणित करते हैं। डा० एस० राजेश के सत्ताक्षर व हस्तिलिप से भलीभांति परिचित होने के संबंध में अपना कथन करते हैं। डा० योगेश अ०सा० 9 का कथन भारतीय साक्ष्य अधि० 1872 की धारा 47 के अधीन सुसंगत होते हुए आहत राजेश अ०सा० 10 के उसके बांए हाथ मे अस्थिमंग कारित होने के कथन की संपुष्टि करता है।
- 11. प्रकरण में फरियादी रामजीत अ०सा० 1 के द्वारा घटना दिनांक को दुर्घटना के संबंध में रिपोर्ट प्र०पी० 1 लिखाए जाने और उस पर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर होना प्रमाणित किए हैं। आहतगण के द्वारा बस पलटने में उन्हें चोटें आने के संबंध में कथन किया गया है। अभियुक्त की ओर से इस संबंध में कोई चुनौती नहीं दी गयी है कि आहतगण को घटना दिनांक 25.04.09 को बस पलटने में कोई उपहित कारित नहीं हुई थी। इसके अतिरिक्त चिकित्सक डा० आलोक शर्मा अ०सा० 3 को प्रतिपरीक्षण में सुझाव दिया गया है कि आहतगण किसी वाहन में बैठे हो और अचानक ब्रेक लगाया जावे तो खिडकी और सीटों से टकराने से आहतगण को आई चोटों के समान चोटें आना संभव है। साथ ही डा० योगेश अ०सा० 9 को भी आहत राजेश को आई चोट गिरने या किसी अन्य चीज से टकराने के फलस्वरूप कारित होना संभव होने के संबंध में सुझाव दिया गया है जिसे चिकित्सकों द्वारा स्वीकार किया गया है। ऐसे में स्वयं अभियुक्त की ओर से अभिकथित घटना दिनांक 25.04.09 को आहतगण चैनसिंह पुत्र भारतिसंह, प्रियंका पत्नी गोविंद, जयपाल पुत्र परमाल, उर्मिला पत्नी विजयसिंह, रामजीत पुत्र जगन्नाथ, अनीता पत्नी रामजीत, दौलतिसंह पुत्र नारायणसिंह, मुन्ना पुत्र गुमान, रज्जन पुत्र पूरन, धरमू पुत्र कल्लू, जगन्नाथ पुत्र बालकिशन को उपहित कारित होने तथा राजेश पुत्र शिवचरन को गंभीर उपहित कारित होने के संबंध में कोई चुनौती नहीं दी गयी है।
- 12. प्र0पी0 3 लगायत 14 के चिकित्सीय परीक्षण प्रतिवेदन एवं प्र0पी0 20 के एक्सरे परीक्षण प्रतिवेदन को चिकित्सकगण द्वारा उनके पदीय कर्तव्य के निर्वहन में निष्पादित किया गया है। ऐसे में उक्त प्रतिवेदन भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 के अधीन सुसंगत होकर अविश्वास का कोई युक्तियुक्त आधार न होने से एवं कारबार के सामान्य अनुक्रम में निष्पादित किए जाने से प्रमाणित होते हैं। उक्त विवेचन से यह तथ्य प्रमाणित हो जाता है कि दिनांक 25.04.09 को आहतगण को शरीर पर चोटें साधारण उपहित के रूप में एवं आहत राजेश को गंभीर उपहित के रूप में मौजूद थी।

//विचारणीय प्रश्न कमांक 1, 3 //

- 13. तथ्यों व साक्ष्य में उत्पन्न परिस्थितियों में पुनरावृत्ति के निवारण हेतु विचारणीय प्रश्नों का एक साथ निराकरण किया जा रहा है। विचारणीय प्रश्न कमांक 2 के विवेचन से यह तथ्य प्रमाणित है कि दिनांक 25.04.09 को करीब सुबह 9 बजे आहतगण को उपहित तथा आहत राजेश को गंभीर उपहित बस दुर्घटना में कारित हुई थी। अब इस तथ्य का विवेचन किया जाना हैं कि क्या आहतगण को कारित उक्त चोटें अभियुक्त के द्वारा उपेक्षा एवं उतावलेपन पूर्ण ढंग से वाहन बस को चलाकर पलट दिए जाने से कारित हुई थीं ?
- 14. फरियादी रामजीत अ0सा0 1 यह कथन करते हैं कि वे बस से अपनी पत्नी अनीता व लडके अजय के साथ जा रहे थे और ग्राम सिसौनिया के सामने एक मंदिर हैं वहां पर एक्सीडेंट हो गया। साक्षी यह कथन करता है कि बस पलट गयी थी और यह भी बताता है कि न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त ही बस को चला रहा था। इस प्रकार से साक्षी द्वारा स्पष्ट रूप से उक्त बस के चालक के रूप में अभियुक्त के होने की पहचान न्यायालय के समक्ष की गयी है। साक्षी बस पलटने में बस में बैटी सवारियों की क्या गलती होगी, कथन करता है और स्वतः कथन करता है कि चालक की ही गलती होगी। साक्षी अपने अभिसाक्ष्य में अभिकथित बस को अभियुक्त द्वारा चलाए जाने की रीति के संबंध में कोई कथन नहीं करता है बल्कि अभियुक्त की गलती होने का कथन करता है। प्रतिपरीक्षण में इस सुझाव से इंकार करता है कि अभियुक्त द्वारा कोई घटना कारित नहीं की गयी। इस प्रकार से यह साक्षी दुर्घटना में अभियुक्त की संलिप्तता के संबंध में स्पष्ट कथन करता है।
- 15. अनीता अ०सा० २, रज्जन अ०सा० ४, जगन्नाथ अ०सा० 5, मुन्ना सेन अ०सा० 6, धरमू अ०सा० 7, दौलतिसंह अ०सा० 8, राजेश अ०सा० 10, जयपाल अ०सा० 12 तथा उर्मिला अ०सा० 13 किसी भी साक्षी द्वारा अपने अभिसाक्ष्य में न तो अभिकथित बस का कोई नंबर बताया है और न हीं उसके चालक के रूप में अभियुक्त की कोई पहचान की है। जयपाल अ०सा० 12 पक्षद्रोही घोषित किए जाने के उपरांत सूचक प्रश्न में अभिकथित बस का नंबर एम०पी०–07 पी 0273 होने का कथन करते हैं कि वे अंग्रेजी पढ़ना नहीं जानते हैं और न हीं उन्होंने बस का नंबर पढ़ा। यह भी स्वीकार करते हैं कि वे बस का नंबर नहीं जानते। ऐसे में अभिकथित साक्षियों द्वारा बस के संबंध में और अभियुक्त का उसके चालक होने के संबंध में कोई भी समर्थन नहीं किया है। अभियोजन द्वारा साक्षी अनीता अ०सा० 2 को छोड़कर उक्त सभी साक्षियों को पक्षद्रोही घोषितकर सूचक प्रश्न पूछे गए जिनमें साक्षियों ने बस नंबर एम०पी०–07 पी 0273 के संबंध में सूचक प्रश्नों में इंकार किया है। ऐसे में अभियुक्त की संलिप्तता का आधार मात्र फरियादी रामजीत अ०सा० 1 का कथन हैं।

- 16. प्रकरण में साक्षी जयपाल अ०सा० 12, उर्मिला अ०सा० 13 के द्वारा बस के काफी तेज गित में चलने का कथन किया है। अनीता अ०सा० 2 ने भी अपने मुख्य परीक्षण में बस चालक द्वारा बस को काफी तेजी से चलाए जाने का कथन किया है। रामजीत अ०सा० 1 ने अपने अभिसाक्ष्य में बस पलटने में अभियुक्त की गलती होने का कथन किया है। अनीता अ०सा० 2, जयपाल अ०सा० 12, उर्मिला अ०सा० 13 के कथनों में बस चालक द्वारा बस को काफी तेजी से चलाए जाने के तथ्य का कोई खण्डन नहीं किया है और न हीं उसे कोई चुनौती दी है। यह तथ्य भी चुनौतीविहीन हैं कि सिसोनिया ग्राम के सामने बस चालक द्वारा बस पलट दी गयी थी। ऐसे में बस के तेज गित में चलाकर पलटने का तथ्य स्वयं ही उपेक्षा व उतावलेपन के विधिक प्रमाणीकरण की आवश्कयता को प्रमाणित करता है।
- 17. प्रकरण में फरियादी रामजीत अ०सा० 1 द्वारा घटना के संबंध में प्र०पी० 1 की देहाती नालिसी लेख कराए जाने का कथन किया है जो कि घटनास्थल एंचाया रोड सिसोनिया ग्राम के सामने लेख किया जाना दर्शित है। देहाती नालिसी के लेखक मुन्नीलाल मौर्य अ०सा० 11 जो यह कथन करते हैं कि उन्हें दिनांक 25.04.09 को थाना गोहद में प्र०आर० के पद पर पदस्थ होते हुए बस पलटने की सूचना मिली थी तब वे सूचना प्राप्त होने पर मय फोर्स सिसौनिया पुरा एंचाया रोड पर पहुंचे थे। उन्होंने फरियादी रामजीत पुत्र जगन्नाथ निवासी हबीपुरा के बताने पर देहाती नालिसी बस कमांक एम०पी०—07 पी 0273 के चालक के विरुद्ध लेखबद्ध किए जाने का कथन करते हैं। उक्त देहाती नालिसी को प्र०पी० 1 बताकर उसके बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षरों को प्रमाणित करते हैं। तत्पश्चात् आहतगण को चिकित्सीय परीक्षण हेतु भिजवाए जाने का कथन करते हैं। इस प्रकार से फरियादी रामजीत अ०सा० 1 के अभिसाक्ष्य का समर्थन मुन्नीलाल अ०सा० 11 एवं प्र०पी० 1 व 2 के दस्तावेजों के आधार पर भी हो रहा है।
- 18. प्रकरण में अभियुक्त की ओर से उसके निर्दोष होने तथा रंजिशन झूंटा फंसाए जाने का बचाव लिया है। अभिलेख पर किसी भी साक्षी को अभिकथित रंजिश होने के संबंध में कोई भी चुनोती नहीं दी गयी है। फरियादी रामजीत अ०सा० 1 के प्रतिपरीक्षण में उसके अभियुक्त के विरुद्ध कथन किए जाने का कोई भी युक्तियुक्त बचाव नहीं लिया है। साथ ही मुन्नीलाल मौर्य अ०सा० 11 को भी घटनास्थल पर देहाती नालिसी लेख किए जाने, साक्षियों के कथन असत्य रूप से लेख किए जाने के संबंध में कोई चुनौती नहीं दी गयी है। अभियुक्त के विरुद्ध साक्षीगण के मिथ्या कथन किए जाने का कोई भी न्यायोचित बचाव का आधार अभिलेख पर नहीं हैं। यह तथ्य ध्यान देने योग्य है कि बस दुर्घटना जैसी घटना में आहत पूर्व से वाहन के चालक को जानते हो ऐसा सदैव संभव नहीं होता है। सार्वजनिक परिवहन के वाहन जैसे बस आदि में यात्री बस चालक से प्रायः परिचित नहीं होते हैं। इसके बावजूद भी रामजीत अ०सा० 1 द्वारा अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पहचान कर उसके द्वारा

वाहन चलाए जाने का तथ्य प्रमाणित किया है। ऐसे में उसके अभिसाक्ष्य पर अविश्वास का कोई आधार नहीं हैं।

- 19 अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्त द्वारा उपेक्षा व उतावलेपनपूर्ण ढंग से बस को पलटने के संबंध में अभियोजन अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। ऐसे में इस तथ्य पर कोई संदेह नहीं रह जाता है कि अभियुक्त द्वारा ही अभिकथित घटना दिनांक 25.04.09 को समय करीब 9 बजे स्थान एंचाया रोड सिसौनिया ग्राम के सामने आम रोड पर बस कमांक एम0पी0–07 पी0273 को लोक मार्ग पर उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया, फरियादी रामजीत, आहतगण चैहनसिंह, प्रियंका, जयपाल, उर्मिला, अनीता, दौलतिसिंह, मुन्ना, रज्जन, धर्मसिंह, जगन्नाथ को टक्कर मारकर उपहित एवं राजेश को टक्कर मारकर गंभीर उपहित कारित की। अतः अभियुक्त को संहिता की धारा 279, 337, 338 के अधीन दोषसिद्ध किया जाता है।
- 20. अभियुक्त के जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं। उसे अभिरक्षा में लिया जावे।
- 21. अभियुक्त के कृत्य से एक व्यक्ति राजेश पुत्र शिवचरन को अस्थिमंग कारित होकर गंभीर उपहित एवं 11 व्यक्तियों को उपहितयां कारित हुई हैं। यद्यपि चार आहतगण द्वारा अभियुक्त से राजीनामा कर लिया गया है ऐसे में उनके संबंध में संहिता की धारा 337 के अधीन अभियुक्त की उक्त आहतगण के बारे में दोषसिद्धि नहीं की जा सकती है। वर्तमान में तेजी से बड रही उपेक्षा व उतावलेपन पूर्वक वाहनों की संचालित किए जाने की प्रवृत्ति के कारण कई व्यक्तियों को अपने मानव जीवन को खोना पडता है और कईयों को जीवनभर इस प्रकार की दुर्घटना की स्मृतियां चोटों के रूप में लेने के लिए विवश होना पडता है। अभियुक्त की ओर से उसके प्रथम दोषसिद्धि होने और प्रकरण के लगभग 8 वर्ष से लंबित होने के कारण कम दण्ड से दिण्डत किए जाने की प्रार्थना की है किन्तु दुर्घटना के फलस्वरूप जिन व्यक्तियों को क्षिति कारित हुई है उनकी भरपाई मात्र समय के आधार पर कम से कम दण्ड देने का औचित्य उचित दिश्ति नहीं होता है।
- 22. प्रकरण में अभियुक्त के कृत्य अथवा उपेक्षा व उतावलेपन से वाहन के संचालन के कारण हुई दुर्घटना में कारित मानव क्षित व उपहितयां ध्यान में रखते हुए व एक ही कार्य का परिणाम होने से संहिता की धारा 71 व दप्रस की धारा 222 के प्रकाश में संहिता की धारा 279 का अपराध धारा 337, 338 में आच्छादित होता है। ऐसे में अभियुक्त को संहिता की धारा संहिता की धारा उ37, 338 के अधीन दिण्डत किया जाता है। अतः अभियुक्त को उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए संहिता की धारा 338 के अधीन 6 माह के सश्रम कारावास

तथा सात सौ रूपये के अर्थदण्ड तथा सहिता की धारा 337 सात काउण्ट के अधीन 6 माह के सश्रम से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड के संदाय में व्यतिक्रम की दशा में अभियुक्त को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगताया जावे। यह स्पष्ट किया जाता है कि अभियुक्त के दोनों कारावास एकसाथ चलेंगे।

- 23. प्रकरण में जब्तशुदा संपत्ति वाहन क0 एम0पी0-07 पी0273 पूर्व से सुपुर्दगी पर है। अतः सुपुर्दगीनामा अपील अविध पश्चात् बंधन मुक्त हो, अपील होने पर मान0 अपील न्यायालय के आदेश का पालन हो।
- 24. निर्णय की एक एक प्रति अविलंब अभियुक्त को प्रदान की जावे।
- 25. अभियुक्त की यदि कोई निरोधाविध हो तो उसके संबंध में धारा 428 दप्रसं० का प्रमाणपत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर, हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित कर घोषित किया गया ।

सही / –

ए०के० गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद. जिला भिण्ड मध्यप्रदेश मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

सही / – ए०के० गुप्ता न्यायिक मजिस्द्रेट प्रथम श्रेणी गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

